



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 6229/अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक : 07/11/2015

॥ आदेश ॥

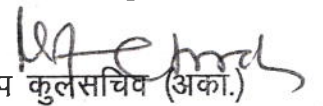
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 की अनुशंसा एवं विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 व कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 के अनुमोदनानुसार सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा, राजिम, जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय (नवीन विषय) एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	नवीन विषय M.Sc. Chemistry (I Year)	15	2015-16

शर्त :-

- विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 एवं 23.09.2015 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक एफ 17-07/2015/38-2 दिनांक 30/01/2015 के द्वारा M.Sc. Chemistry (I Year) के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 - परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
 - जॉच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
 - उपरोक्त विषय के द्वितीय वर्ष हेतु नियमानुसार आवेदन 28 फरवरी 2016 के पूर्व प्रस्तुत कर संबद्धता प्राप्त करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

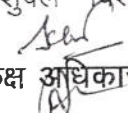

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 6230/अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक : 07/11/2015

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


कक्ष अधिकारी (अका.)